

सार्वजनिक (लोक) निगम के गठन के कारणों में, एक महत्वपूर्ण कारण है:- औद्योगिकीकरण के कारण - आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण तेजी से हो रहा है ऐसी स्थिति में उद्योग और व्यवसाय पर नियंत्रण रखना सरकार के लिए आवश्यक हो गया है। इसका उद्देश्य लोगों को उचित मूल्य पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। ऐसे व्यवसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक निगमों का गठन किया गया है। उद्योगों के विकास और सरकारी उद्योगों को चलाने के लिए औद्योगिक वित्त निगम या औद्योगिक विकास निगम जैसे सार्वजनिक निगमों की स्थापना की गई है। विभिन्न राज्यों में परिवहन की सुचारु करने के लिए परिवहन निगम बनाया गया है। मेट्रो रेल सेवा के कुशल संचालन के लिए DMRC, LMRC दिल्ली, पश्चिम में बनाया गया।

लोक निगम तथा विभागीय प्रशासन में अंतर :-

लोक निगम तथा सरकारी विभाग सरकारी अधिकारों की ^{रूप} धारक हैं। प्रशिक्षण, संसद तथा कार्यपालिका के साथ उनके संबंधों की दृष्टि से उनमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

1. कार्य की स्वायत्तता संबंधी - लोक निगमों को आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होती है किंतु विभागों को इस की स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है।
2. संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से - लोक निगमों पर संसदीय नियंत्रण कम होता है।
3. उत्तरदायित्व की दृष्टि से - निगमों के संबंध में व्यवस्थापिका द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिए जाने का दायित्व कम होता है।
4. वित्तीय दृष्टि से - लोक निगमों के सम्बंध में व्यवस्थापिका द्वारा प्रश्नों का उत्तर संसद से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अपनी आर्थिक स्थिति सेव शोचनार्थी

के लिए धन जुटाने के लिए उधार लेने तथा दीर्घकालीन बजट तैयार करने के लिए निगम स्वतंत्र होते हैं। विभागों को यह स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है।

5. कार्मिक वर्ग के प्रशासन की दृष्टि से - कर्मचारी (विभागीय) नागरिक सेवाओं के सदस्य होते हैं। निगम में सेवा शर्तें सिजी उद्योगों जैसी होती हैं।
6. लेखा परीक्षण की दृष्टि से - विभागों में सरकारी ऑडिट करने समय वैधानिकता एवं उमानहारी के साथ डिग्रा जाता है। निगमों के कार्मिक हिसाब डिग्रा की परीक्षा दलीय उद्योगों की भांति की जाती है।
7. विभागों पर मुकदमा नहीं किया जाता था। निगमों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
8. सरकारी निगम अपने कार्य की प्रगति एवं संगठन के कारण राजनीतिक दबाव से उभावित नहीं होते हैं।

लोक निगमों की सीमाएं :-

सरकार की व्यवसायिक गतिविधियों का चलाने के लिए सार्वजनिक लोक निगम सर्वोत्तम योजनी है क्योंकि इनके पास वितीय, कार्मिक और प्रबंधकीय क्षमता होती है। व्यवसायिक क्षमता, पन और कुशलता होती है तथा वह प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण और हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। लेकिन साथ ही सरकार के नीति निर्देशन और कानून द्वारा उन पर कुछ सीमाएं भी आरोपित की जाती हैं जो निम्न हैं :-

1. सामान्य नीति क्या है? संगठन के संचालन के लिए? जिससे दैनिक कार्य में भी सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है।
2. स्वायत्तता और दायित्वों के बीच संतुलन कैसे रखा जाए?
3. लोक निगम व्यवसाय, बैंकिंग, परिवहन, प्रयुक्त और वितीय व्यवस्था जैसे मामलों के लिए उपयोगी है। रक्षा, कानून और व्यवस्था, न्याय जैसे सरकारी कार्यों के लिए उपयोगी नहीं है। इनके लिए विभागीय व्यवस्था ही कारगर है।
4. सार्वजनिक निगमों को प्रोत्साहन देने और हतोत्साहित करने की कोश निश्चित व्यवस्था नहीं है इसलिए प्रबंधकों की सही ढंग से प्रेरणा नहीं मिल पाती है।

लोक निगमों की वही कार्य सौंपे जाते हैं जिनके लिए व्यवसायिक क्षमता, कार्मिक कार्य कुशलता और राजनीतिक हस्तक्षेप की दृष्टि की आवश्यकता होती है।